कार्यालय वन संरक्षक, अलीगढ़ वृत्त, अलीगढ़।

पत्रांकः 2693/14–1, दिनांकःअलीगढ़,फरवरी, 21 ,2018

सेवा में,

प्रभागीय निदेशक,
सामाजिक वानिकी प्रभाग,
अलीगढ़।

विषयः– **पावर ग्रिड कारपोरेशन लि0 द्वारा निर्माणाधीन 765 के0वी0 उरई–अलीगढ़ पारेषण लाइन (पार्ट–2) पैकेज टी0ई0–09 पारेषण लाइन को वन भूमि के ऊपर से निकालने तथा 0.6595 हे0 वन भूमि हस्तान्तरण एवं प्रभावित वृक्षों के पातन की अनुमति के सम्बन्ध में।**

सन्दर्भः– आपका पत्रांक 2487/14–10 दि0 15.02.2018 एवं प्रभागीय वनाधिकारी, हाथरस का पत्रांक 2220/14–1 दिनांक 20.02.2018

उपरोक्त विषयक प्रस्ताव प्रभागीय वनाधिकारी, हाथरस वन प्रभाग, हाथरस के संदर्भित द्वारा ऑनलाइन एवं ऑफलाइन इस कार्यालय को प्रेषित किया गया है। प्रस्ताव का अवलोकन करने पर पाया गया कि प्रस्ताव में आपके द्वारा वन संरक्षण अधिनियम 1980 के उल्लंघन करने का प्रमाण पत्र दिया गया है परन्तु पार्ट–।। के 11–सी में वन संरक्षण अधिनियम 1980 के उल्लंघन का कोई उल्लेख नहीं किया गया है। अतः विषयक प्रस्ताव आपको ऑनलाइन एवं ऑफलाइन इस आशय से वापिस किया जाता है कि आप उक्त आपत्ति का निराकरण कर प्रस्ताव ऑनलाइन एवं ऑफलाइन इस कार्यालय को शीघ्रातिशीघ्र प्रेषित करना सुनिश्चित करें ताकि प्रस्ताव अग्रिम कार्यवाही के उपरान्त मुख्य वन संरक्षक/नोडल अधिकारी, वन संरक्षण अधिनियम 1980, उ0प्र0 लखनऊ को प्रेषित किया जा सके।

संलग्नक–उपरोक्तानुसार।

(बी0 प्रभाकर)
वन संरक्षक,
अलीगढ़ वृत्त, अलीगढ़।

पत्रांक /14–1 दिनांकित।

प्रतिलिपि मुख्य वन संरक्षक/नोडल अधिकारी, वन (संरक्षण) अधिनियम,1980, उत्तर प्रदेश लखनऊ को सूचनार्थ प्रेषित।

प्रतिलिपि उप महाप्रबन्धक, (लाईन निर्माण), पावरग्रिड का0लि0 इण्डिया लि0, उत्तरी क्षेत्र–3,फ्लेट नं0 304, ब्लाक–डी, ग्रीनपार्क टाउनशिप, एटा बाईपास रोड, पोस्ट–क्वार्सी, जनपद–अलीगढ़ को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित।

(बी0 प्रभाकर)
वन संरक्षक,
अलीगढ़ वृत्त, अलीगढ़।

C.F. Office/Draftman/Land Transfer/com-ii